

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 9895/2013)/अलेसे-III/1115

दिनांक :- 15-12-2022

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | लिंक नं. | नाम कनिष्ठ लेखाकार                                | नाम परीक्षा                                                | आयोजक संस्था                                  | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय               |
|----------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                                                 | 4                                                          | 5                                             | 6                                       |
| 1        | 9895     | श्री दिनेश कुमार शर्मा<br>(निलम्बित कनि. लेखाकार) | M.A. Final<br>Year 2023-24<br>(Economics)<br>(Non college) | वर्धमान महावीर<br>खुला विश्वविद्यालय,<br>कोटा | कार्यालय<br>कोषाधिकारी(पेंशन),<br>जयपुर |
|          |          |                                                   | UGC NET-2023<br>(Economics)                                | NTA                                           |                                         |

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 15-12-2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 9895/2013)/अलेसे-III/1115  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय कोषाधिकारी(पेंशन), जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री दिनेश कुमार शर्मा, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (पेंशन), जयपुर।

  
(कै. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)